फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

[illegible]सोदा वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नरसाली नाडी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 81 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नं 209/20[illegible] सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.08.2020	प्रार्थीनीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीनीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नरसाली नाडी पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीनीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने व बेदखल करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 16/09/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा नरसाली नाडी पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1029/885 रकबा 5.1695 हैक्टेयर (विभक्त खसरा नम्बर 1128/1125 रकबा 0.2447 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1129/1125 रकबा 0.2407 हैक्टेयर, मूल खसरा नम्बर 1124/1029 रकबा 4.6841 हैक्टेयर) की भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें। न ही प्रार्थीनीगण को बेदखल करने का प्रयास करें। न ही किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहें। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 16/09/2020 को पेश हों। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested

16/09/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी [illegible] की ओर से इस अपील में वकील श्री [illegible] सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 22/09/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

22/09/2020

~~पक्षकारान~~ पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोहपर दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 21/10/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व-आदेशानुसार यथावत रहेगा।

21/10/2020

पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की मूल अपील निस्तारित हो चुकी है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। लिहाजा उक्त स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested